



छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

उद्योग भवन, रिंग रोड नम्बर-01, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492 006

संभाग-1, व्यावसायिक परिसर डंगनिया, रायपुरा चौक, रायपुर

दूरभाष : 0771 6002074 73 फैक्स : 0771 2583794

CTN : U-45203CTF981SG001853, PAN : AABC M6288N, SI Reg. No. : AABC M6288NSD004

Website: www.csidc.in, Email address: csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

मैनअल पद्धति निविदा सूचना

निविदा क्रमांक 09/संभाग-1/2015-16

रायपुर, दिनांक 26/12/2015

मुहरबंद निविदायें फार्म 'ए' (प्रतिशत दर) पर छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली 'ई-पंजीयन' के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 19/01/2016 अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, व्यावसायिक परिसर डंगनिया, रायपुरा चौक, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

स. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, सेक्टर-सी स्थित हाई बस स्टैण्ड की पेंटिंग/मरम्मत का कार्य।	17.86 लाख	14000/-	750/-	03 माह वर्षा ऋतु सहित	द वर्ग एवं उससे ऊपर	भवन एस.ओ. आर. लोक निर्माण विभाग रायपुर दिनांक 01/01/2015 से प्रभावशील एवं बाजार दर पर

शर्त :-

- कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता संभाग-1 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद मुख्यालय उद्योग भवन, प्रथम तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा रायपुर में भुगतान कर दिनांक 18/01/2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक तकनीकी कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, व्यावसायिक परिसर डंगनिया, रायपुरा चौक, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा आवेदन के साथ जीवित वाणिज्य कर चुकता प्रमाण-पत्र, जीवित पंजीयन एवं जीवित सालवेंसी की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का समयावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- निविदा स्वीकृति उपरांत संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्राप्त कार्य का पंजीयन कराने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा, साथ ही भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction Work) पर 1 प्रतिशत उपकर (सेस) देय होगा। चल देयकों एवं अंतिम देयक के भुगतान से उक्त राशि कटौती की जावेगी।
- निविदायें निगम की निविदा पेट्री में डाली जावेगी, डाक द्वारा प्राप्त निविदायें स्वीकृत नहीं की जावेगी।
- कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- भवन निर्माण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य एवं निविदा में दी गयी शर्तों के अनुसार ही कार्य संपादित करना होगा।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज नोटरी से सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता
संभाग-1